"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2007-2009."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 72] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 23 मार्च 2010—चैत्र 2, शक 1932

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, दिनांक 23 मार्च, 2010 (चैत्र 2, 1932)

क्रमांक-3987/वि. स./विधान/2010.—छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 10 सन् 2010), जो दिनांक 23 मार्च, 2010 को पुर:स्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
(देवेन्द्र वर्मा)
सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 10 सन् 2010)

छत्तीसगढ़ आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2010

छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (एक) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ आबकारी (संशोधन) अधिनियम, 2010 कहलाएगा.

(दो) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर होगा.

(तीन) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

नई धारा का अंत:स्थापन.

2. छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 36-ङ के पश्चात् निम्नलिखित नई धारा अंत:स्थापित की जाए :—

"**36-च सार्वजनिक स्थानों पर मद्यपान के लिये शास्ति :—** जो कोई मद्यपान हेतु अनुज्ञप्त परिसर के अतिरिक्त, सार्वजनिक स्थानों यथा-शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों, पूजा गृहों/पूजा स्थलों, बस स्टैण्ड, रेल्वे स्टेशन तथा आम रास्ता आदि में मदिरा पान करते हुए या मदिरा पान कर उत्पात करते हुए या मत्त पाया जाएगा वह जुर्माने से, जो प्रथम अपराध के लिये दो सौ रुपये से कम का नहीं होगा किन्तु जो पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा, तथा पुनरावृत्त अपराध की दशा में जुर्माने से जो पांच सौ रुपये से कम का नहीं होगा किन्तु जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित होगा."

उद्देश्यों और कारणों का कथन

1. छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 36 के अंतर्गत अवैध कब्जे की शास्ति :—

राज्य में आम जनता के मदिरापान हेतु देशी मदिरा की फुटकर दुकानों (सी.एस. 2 घ लायसेंस) के परिसर में मदिरा उपभोग की सुविधा प्रदान की गई है. इसी प्रकार एफ. एल. 2 (रेस्टोरेन्ट बार अनुज्ञप्ति) एवं एफ. एल. 3 (होटल बार अनुज्ञप्ति) में विदेशी मदिरा के उपभोग की अनुमति दी गई है. यह देखने में आया है कि, शहरों एवं कस्बों में निवासरत विभिन्न वर्ग के मदिरा के उपभोग करने वाले व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर मदिरापान करते हुए पाए जाते हैं,जिससे आम नागरिकों को अनेक असुविधाओं का सामना करना पड़ता है व शासन की छवि पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है. वर्तमान में इस पर रोक हेतु अधिनियम में किसी दण्ड का प्रावधान नहीं है.

अत: सार्वजनिक स्थानों पर मदिरापान से आम नागरिकों को हो रही असुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए ऐसे स्थानों पर मदिरापान को दण्डनीय मानते हुए इस पर दण्ड का प्रावधान किये जाने हेतु छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 36-ङ के पश्चात् नवीन धारा 36-च स्थापित किया जाना आवश्यक है. उक्त प्रावधान में प्रथम अपराध के लिये दो सौ रुपये से पांच सौ रुपये तक तथा पश्चात्वर्ती अपराध के लिये पांच सौ रुपये से एक हजार रुपये तक दण्ड का प्रावधान किया गया है.

2. अतएव छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 36-ङ के पश्चात् नई धारा 36-च जोड़ा जाना आवश्यक है.

3. अतएव यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर,

तारीख 16 मार्च, 2010

अमर अग्रवाल
वाणिज्यिक कर मंत्री,
(भारसाधक सदस्य)

उपाबंध

छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 36-ङ का उद्धरण—

* * * * * * * * * * * * * *

धारा 36-ङ :— मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति से या हेतुक दर्शाने की अपेक्षा करेगा कि उसे सदाचार के लिये बंध पत्र निष्पादित करने का आदेश क्यों न दिया जाये—

(1) जब कभी राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में विशेष रूप से सशक्त किये गये प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को यह इत्तला प्राप्त हो कि, उसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर कोई व्यक्ति धारा 34 या धारा 36 के अधीन दण्डनीय अपराध अभ्यासत: करता है, या करने का प्रयत्न करता है या उसके किये जाने की दुष्प्रेरणा करता है, तो ऐसा मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति से खुद यह हेतुक दर्शाने की अपेक्षा कर सकेगा कि, तीन वर्ष से अनधिक ऐसी कालावधि के लिये, जैसे कि मजिस्ट्रेट निर्दिष्ट करे, उसके सदाचार के लिये प्रतिभूओं के सहित करने के लिये आदेश क्यों न दिया जाये.

(2) उपधारा (1) के अधीन कार्यवाहियों को दण्ड प्रक्रिया संहिता के उपबंधों का लागू होना दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 (क्रमांक 5 सन् 1998) के उपबंध, जहां तक कि वे लागू नहीं होते हों, उपधारा (1) के अधीन किन्हीं भी कार्यवाहियों को उसी प्रकार लागू होंगे, मानो कि उसमें निर्दिष्ट किया गया. बंध पत्र ऐसा बंध पत्र हो जिसका उक्त संहिता की धारा 110 के अधीन निष्पादित किया जाना हो.

* * * * * * * * * * * * * *

देवेन्द्र वर्मा
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.